



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 222 राँची, गुरुवार,

24 फरवरी, 2022 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची ।

संकल्प

23 फरवरी, 2022

विषय:- वित्त नियमावली के नियम, 245 के आलोक में नियम, 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए M/s Transforming Rural India Foundation (TRIF), M/s Charities Aid Foundation (CAF) & M/s Better World Foundation (BWF) के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में ।

सं.सं.-5/नि.नि./ई.एम.आई.-4011/2021--राज्य सरकार, राज्य में बेरोजगारी के समस्या के समाधान के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित एवं वचनबद्ध है। इसे दृष्टिगत रखते हुए M/s Transforming Rural India Foundation (TRIF), M/s Charities Aid Foundation (CAF) & M/s Better World Foundation (BWF) के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेतु श्रम, नियोजन, एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं M/s Transforming Rural India Foundation (TRIF), M/s Charities Aid Foundation (CAF) & M/s Better World Foundation (BWF) के बीच Memorandum of Understanding किया गया है ।

2. (i) MoU के मुख्य बिन्दुएं निम्नवत हैं:-

- ❖ एक सक्षम आईसीटी मंच के साथ मौजूदा रोजगार कार्यालय और आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अपेक्षित सुविधा प्रदान करना ।
 - ❖ वर्तमान योजनाओं के साथ-साथ नए हस्तक्षेपों की वास्तविक समय निगरानी के लिए डिजिटल परिवर्तन की सुविधा, मार्ग, प्रक्रियाएं और एसओपी स्थापित करना ।
 - ❖ राज्य के युवाओं के समग्र विकास के लिए रोजगार कार्यालय के युक्तिकरण और डिजिटलीकरण में विभाग का समर्थन करने के लिए श्रम सुधारों की स्थापना और पूर्ण रोजगार सृजन सेल को मुफ्त (Free of cost) करने के लिए टी.आर.आई.एफ. को अधिकृत किया जा रहा है ।
 - ❖ यह सेल कमियों और समाधान की पहचान करने के लिए कई हितधारकों के साथ एक डेस्क समीक्षा और परामर्श आयोजित करेगा। प्रथम पक्ष विभाग के परामर्श से निष्पादन के लिए हस्तक्षेप को डिजाइन करने के लिए अनुसंधान करने के लिए सेल को सक्षम करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा ।
 - ❖ यह MoU की तिथि से दो साल तक के लिए प्रभावी रहेगा तथा प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये डाटा को दूसरे पक्ष के द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था को नहीं बताया जायेगा न दिया जायेगा ।
 - ❖ यह Agreement Non-financial है ।
3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-19.01.2022 की बैठक में मद संख्या-45 में दी गई है ।
 4. यह संकल्प निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा ।
 5. इसका कार्यान्वयन एवं संचालन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के स्तर से किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
